<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।</u>

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735,

विशेष दाण्डिक वाद संख्या 173/2025

सरकार------**बनाम**-----राजू जायसवाल आदि।

थाना को०देहात, बहराइच।

<u>आरोप</u>

मैं, पवन कुमार शर्मा–II, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आप अभियुक्तगण **राजू जायसवाल, सोनू साहू व अनुराग राजपूत** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 01.10.2024 को समय करीब 10 बजे रात्रि, बहद स्थान पुरानी बाजार इमलिया, थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा प्रभात कुमार बाल्मीकी व अन्य मजरूबों को स्वेच्छया मार पीट कर उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने बी०एन०एस० की धारा 115(2)/3(5) के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने सामान्य आशय के अग्रसरण में चोटहिल विशुन कुमार को मारकर घोर उपहति कारित किया जिससे उसका अस्थिभंग हो गया। इस प्रकार आपने बी०एन०एस० की धारा 117(2)/3(5) के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा आदि को भद्दी–भद्दी गालियाँ देकर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने बी०एन०एस० की धारा 352 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा आदि को जान से मार देने की धमकी देकर आपराधिक कार्य किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया जो बी०एन०एस० की धारा 351(3) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का है, के विरूद्ध अपराध किया। इस प्रकार आप लोगों का कृत्य धारा 3(1)(द ध),3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं,एतदद्वारा निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त विरचित आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(पवन कुमार शर्मा–II)

दिनांक 30.07.2026 विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

अभियुक्त को उक्त आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिससे इन्कार करते हुए विचारण की माँग की गयी।

(पवन कुमार शर्मा–II)

दिनांक 30.07.2026 विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),बहराइच।</u>

विशेष दाण्डिक वाद संख्या 173/2025

सरकार------**बनाम**-----राजू जायसवाल आदि।

थाना को०देहात, बहराइच।

<u>30.07.2026</u>

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण **राजू जायसवाल, सोनू साहू व अनुराग राजपूत** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण को धारा 230 बी.एन.एस.एस.(207 द०प्र०सं०) के अनुपालन में नकले प्रदान की गयी।

विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) ने अपना कथन आरम्भ करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले साक्ष्य का उल्लेख किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर सम्यक विचार करने के उपरान्त न्यायालय इस मत का है कि अभियुक्तगण **राजू जायसवाल, सोनू साहू व अनुराग राजपूत** के विरूद्ध बी०एन०एस० की धारा 115(2)/3(5),117(2)/3(5),352,351(3) एवं धारा 3(1)(द ध),3(2)(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है,तदनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाये।

पत्रावली दिनांक 05-10-2026 को अभियोजन साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो। आरोप पत्र के क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित अभियोजन साक्षीगण उक्त तिथि के लिए जरिए सम्मन आहूत हो।

(पवन कुमार शर्मा-II)

विशेष न्यायाधीश,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,बहराइच।